उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 1 | 1-15 जनवरी 2022 | ₹ 20/-

सूर्य नमस्कार का विरोध

- कर्नाटक के महिला कॉलेज में हिजाब पर विवाद
- कजाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक
- ईरान को अमेरिका की धमकी
- उच्च शिक्षा में 16 प्रतिशत मुसलमान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सूर्य नमस्कार का विरोध 04
श्रीकृष्ण जन्मभूमि फिलहाल एजेंडे में नहीं 06
हज पर अनिश्चितता बरकरार 08
कर्नाटक के महिला कॉलेज में हिजाब पर विवाद 09
उत्तर प्रदेश का चुनाव ओवैसी के लिए चुनौती 10

विश्व

कजाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक 12
आठ लाख अफगान शरणार्थी ईरान में 15
मलेशिया से पाकिस्तानी घुसपैठियों की वापसी 16
क्वेटा में धमाका 16
पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय का मस्जिद गिराने का फैसला बदलने से इंकार 17

पश्चिम एशिया

ईरान को अमेरिका की धमकी 18
ईरान द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने पर अमेरिका चिंतित 19
विद्रोहियों द्वारा 200 नागरिकों की हत्या 20
अरब शहजादी कैद से रिहा 21
सूडान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन 21

अन्य

बालों पर थूकने के आरोप में जावेद हबीब पर केस दर्ज 23
उच्च शिक्षा में 16 प्रतिशत मुसलमान 23
हजामों को दाढ़ी न मुंडने का निर्देश 24
जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए कमेटी 24
ऊंट मेले में महिलाओं की भागीदारी 24

सारांश

चुनाव नजदीक आते ही कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र सरकार के खिलाफ अभियान पुनः तेज कर दिया है। भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में जनवरी के पहले सप्ताह में देश भर के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने की योजना बनाई थी। इसका विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा मुसलमानों पर जबरन ब्राह्मणी धर्म और वैदिक संस्कृति को लाद रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और योग विद्या और सूर्य नमस्कार को इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुसलमानों पर लादा जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया है कि वे इन कार्यक्रमों में अपने बच्चों को भागीदार बनने से रोकें और इनका बहिष्कार करें। कुछ वर्ष पूर्व जब भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार को भी शामिल किया था तो उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्कालीन महासचिव मौलाना वली रहमानी ने भी बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ इसी तरह से वातावरण बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने इस संदर्भ में देश भर के मस्जिदों के इमामों का सहारा लिया था। उन्होंने इन इमामों से अनुरोध किया था कि इस्लाम और शरिया को बचाने क लिए वे योग, ओम का जाप, सूर्य नमस्कार एवं वंदे मातरम् के खिलाफ मुसलमानों को जागरूक करें। उनका समर्थन दारूल उल्म देवबंद ने बाकायदा एक फतवा जारी करके किया था और जमात-ए-इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाया था।

इस बार हज के बारे में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गत दिनों यह घोषणा की थी कि दो लाख से अधिक हज यात्री सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे। मगर कोरोना की नई लहर ने इस वर्ष हज यात्रा को अनिश्चित बना दिया है। क्योंकि सऊदी सरकार ने इस संबंध में कोरोना नियमों के तहत पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। पिछले दो वर्षों से विश्वभर के हज यात्री हज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण सऊदी सरकार ने विदेशियों के लिए हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पुराने सोवियत यूनियन के मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक हो रही है। 1991 में इस मुस्लिम बहुल देश ने सोवियत यूनियन से अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की थी। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पेट्रोलियम गैस पर मूल्य नियंत्रण को हटाने की घोषणा की थी। इसके खिलाफ जनता ने देश भर में उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सेना की मदद से इन प्रदर्शनों को कुचलना चाहा मगर जब प्रदर्शनकारियों ने सेना और पुलिस पर जवाबी हमले शुरू कर दिए तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को रूस से मदद मांगनी पड़ी। इन दोनों देशों के बीच एक संधि के कारण रूस ने अपने सैनिक कजाकिस्तान भेजने शुरू कर दिए हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि विदेशी शक्तियां उनके शासन का तख्ता पलटने की साजिश कर रही हैं। उनकी नजर इस देश के बहुमूल्य पेट्रोलियम भंडारों पर है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट घोषित किया है। कजाकिस्तान में रूसी सैनिक भेजने का विरोध अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के देशों ने किया है।

सूर्य नमस्कार का विरोध

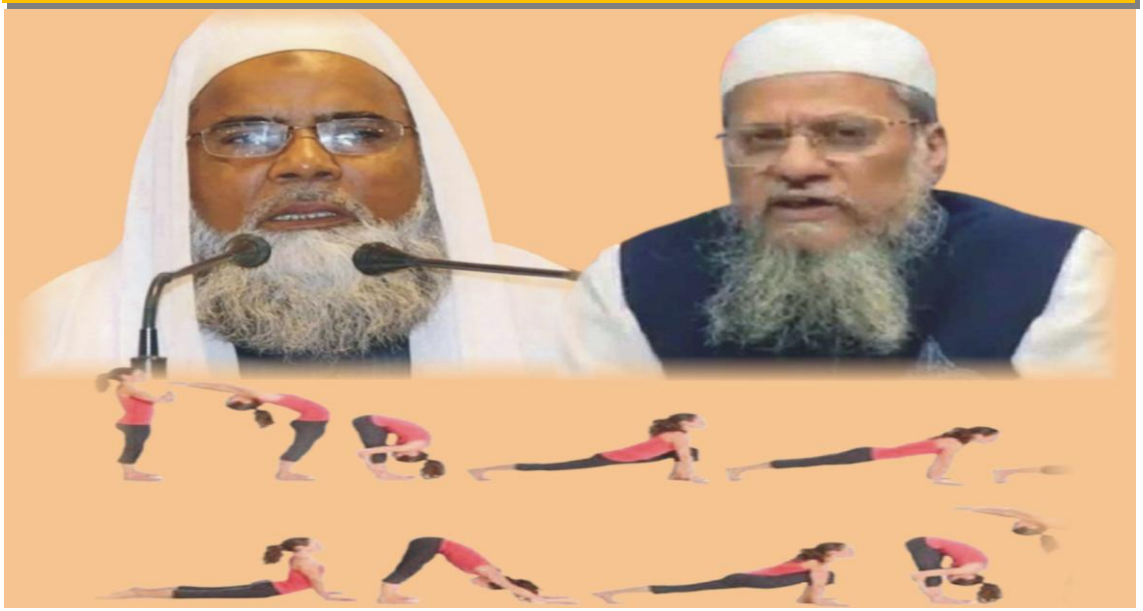

सालार (4 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भारत सरकार से मांग की है कि उसने देश भर में सूर्य नमस्कार आयोजित करने का जो फैसला किया है वह इस्लामिक परंपरा के खिलाफ है इसलिए उसे तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इसी सिद्धांत पर हमारा संविधान बना है। संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता कि किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जाए या किसी धर्म की आस्था पर आधारित समारोह आयोजित किए जाएं। मगर बड़े दु:ख की बात है कि वर्तमान सरकार संविधान की इस भावना की धज्जियां उड़ा रही है और जबरन बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्थाओं को मुसलमानों पर लादा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को इसका डटकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उपसचिव ने आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक परियोजना चलाने का फैसला किया है, जिसमें प्रथम चरण में 30 हजार स्कूलों को शामिल किया गया है और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार पर आधारित एक संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। यह फैसला असंवैधानिक है और यह पूजा का एक रूप है। मुसलमान और इस देश के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय न तो सूरज को देवता मानते हैं और न ही वे उसकी पूजा अर्चना करने के पक्ष में हैं। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपन इस फैसले को वापस ले। मौलाना रहमानी ने कहा है कि मुस्लिम बच्चों को सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए और उसमें किसी भी कीमत पर हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के अनुसार रजा एकेडमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी की अध्यक्षता में मुंबई में एक बैठक हुई, जिसमें

सरकार द्वारा सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला हुआ और कहा गया कि यह इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह न सिर्फ इसमें भाग न ले बल्कि इसका डटकर विरोध भी करे। मुंबई के मुफ्ती मोहम्मद जुबैर बरकती ने फतवा जारी करके मुसलमानों को यह निर्देश दिया है कि वे सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का बहिष्कार करें और अपने बच्चों को इस बात का निर्देश दें कि यदि उनके स्कूल में इसके संबंध में कोई कार्यक्रम होता है तो वे इसका बहिष्कार करें और इसमें हिस्सा न लें।

इत्तेमाद (5 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि मुसमलानों पर हिंदू धर्म और संस्कृति को लादा जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि भगवा पार्टी मुसलमानों को इस्लाम और उनकी सभ्यता से दूर करना चाहती है। यही कारण है कि दो वर्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को शुरू किया था और उसमें सभी भारतीयों से भाग लेने की अपील की थी और उन्होंने जनता से यह भी कहा था कि वे सोशल मीडिया में एक अभियान चलाएं ताकि यह जनांदोलन बन जाए।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सूर्य नमस्कार और योग को स्कूलों में प्रारंभ करने के खिलाफ बहुत पहले अभियान शुरू कर चुका है। मुसलमानों ने बार-बार सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि वह योग और सूर्य नमस्कार को मुस्लिम छात्रों पर न सौंपे क्योंकि यह इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। इस बार भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए सभी मुसलमानों से यह अपील की है कि वे इसका बहिष्कार करें।

समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि भगवा पार्टी का लक्ष्य इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है और वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एडो-चोटी का जोर लगा रही है। पाठ्यपुस्तकों में देश के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। आरएसएस के विचारों को इन पाठ्यपुस्तकों मं शामिल किया जा रहा है। ताकि नई पीढ़ी को इस्लाम से दूर किया जा सके। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में छात्रों को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ। इन मासम् बच्चों से कहलवाया गया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ेंगे एवं जरूरत पड़ने पर आत्म बलिदान भी करेंगे। इसके अतिरिक्त हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले में महिलाओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे आपस मं उर्दू में बातचीत न करें। जब से भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है वह बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। मुसलमानों को इसका डटकर विरोध करना चाहिए।

टिप्पणी : भारतीय समाज की समरसता को तार-तार करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से मस्जिदों और उनके इमामों का इस्तेमाल करना शुरू किया है उसके गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सरकार ने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की थी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के सभी मस्जिदों के इमामों को एक परिपत्र भेजकर उन्हें यह निर्देश दिया था कि वे इस सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार करें क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है और मसलमानों पर जबरन हिंदू धर्म एवं संस्कृति को लादने का प्रयास किया जा रहा है। इस परिपत्र में उन्हें वंदे मातरम् और ओम के जाप का बहिष्कार करने का भी निर्देश दिया गया था।

मुस्लिम समाचारपत्रों ने इस संदर्भ में अनेक उत्तेजक समाचार प्रकाशित किए थे। उदाहरणस्वरूप **इंकलाब** ने अपने संपादकीय में कहा था कि मुसलमानों पर ब्राह्मणी धर्म और वैदिक संस्कृति को जबरन लादा जा रहा है और यह संविधान का खुला उल्लंघन है। एक अन्य समाचारपत्र **सहाफत** ने अपने समाचार का शीर्षक दिया था, 'मुसलमानों को ब्राह्मणवाद से बचना चाहिए।' इस समाचारपत्र ने सभी मस्जिदों के इमामों से कहा था कि वे मुसलमानों को ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। **अखबार-ए-मशरिक** ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करते हुए कहा था कि अल्लाह ने सूर्य को इंसानों की सेवा करने क लिए बनाया है। उनके आगे झुकना और उनको नमस्कार करना इस्लाम के खिलाफ है। इस देश मं कुछ लोग मुसलमानों को इस्लाम से दूर करना चाहते हैं और उन्हें काफिर ब्राह्मणी रंग में रंगना चाहते हैं।

जमात-ए-इस्लामी ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्वर में स्वर मिलाते हुए मुसलमानों से अपील की थी कि वे इन कार्यक्रमों का बहिष्कार करें। दारूल उलूम देवबंद ने योग के खिलाफ एक फतवा जारी करके उसे शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बताया था। फतवे में कहा गया था कि योग में ओम का जाप होता है और मंत्र पढ़े जाते हैं। जबकि सूर्य नमस्कार में पूजा की जाती है इसलिए यह सब इस्लाम के खिलाफ है। हैरानी की बात यह है कि अब पुन: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन इस मामले में मुखर हो गए हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि फिलहाल एजेंडे में नहीं

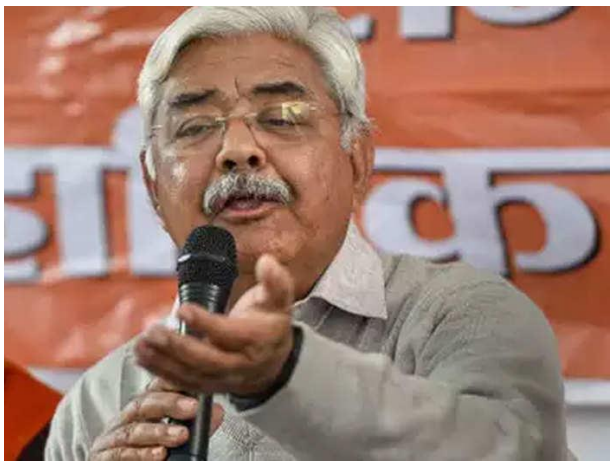

उर्दू समाचारपत्रों, मुस्लिम संगठनों और कुछ वामपंथी सेक्युलर लोगों ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को भड़काने का प्रयास किया था। अब इस प्रचार का निराकरण करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि फिलहाल उनके एजेंडे में नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जनवरी) के अनुसार आलोक कुमार ने कहा है कि अभी हमारा सारा ध्यान अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि आशा है कि 2024 से पहले वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा और उसमें रामलला का दर्शन किया जा सकेगा। देश में इस समय हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू धर्म संसद के हवाले से जारी बहस का उल्लेख करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि इस दशक में हमने धर्म संसद का आयोजन किया था, जिसमें देशभर के साधु-संतों ने भाग लिया था। इसके बाद भी इस तरह के कई समारोह आयोजित हुए। हाल ही में कुछ लोगों या संतों ने जो आयोजन किया है उसे धर्म संसद नहीं कहा जा सकता। हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के खिलाफ दिए गए किसी बयान का समर्थन नहीं करते। हमारा विश्वास 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' में रहा है।

यूएनआई से विशेष रूप से बातचीत करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जो बयान दिया गया है उससे वे असहमत हैं और उनके बारे में किसी भी अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन नहीं किया जा सकता। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ देश के कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। धर्मांतरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। हालांकि इस समय देश के 11 राज्यों में धर्मांतरण से संबंधित कानून मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लोभ या दबाव से धर्मांतरण करना जुर्म है और इस समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर ही निपटा जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत जब हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक बताते हैं और बिना मुसलमानों के हिंदुत्व को अधूरा मानते हैं तो फिर धर्मांतरण का क्या अर्थ है? इस पर आलोक कुमार ने कहा कि यह सच है कि दोनों का डीएनए एक है। पूर्वज भी एक ही हैं। मगर लोभ देकर, डराकर या धोखे से धर्मांतरण के वे खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून पर प्रश्न किए जाने पर उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को धोखा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाना और फिर उनका धर्मांतरण करना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। जैसे इंसान और इंसानियत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदू स्वभाव से हिंसक नहीं हैं। कट्टरपंथ का हिंदुओं में कोई स्थान नहीं है।

अवधनामा (1 जनवरी) में अबुबकर सब्बाक सुभानी का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की धमक शुरू होते ही भाजपा के नेता वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिकता को हवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण करने की आवाज बुलंद की थी इसके बाद भगवा संगठनों ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में मूर्ति रखने की धमकी देकर मुसलमानों को बेचैन कर दिया। बाबरी मस्जिद शहादत के समय जो सांप्रदायिक भाषण दिए जा रहे थे उनमें यह भी दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अगला निशाना मथुरा की ईदगाह मस्जिद होगी और उसके बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद। इसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया।

बाबरी मस्जिद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण रामलला के मंदिर को गिराकर किया गया था इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मगर इसके बावजूद हिंदुओं की आस्था का हवाला देते हुए बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने का फैसला भी सुना दिया। दूसरी ओर मस्जिद की शहादत को अपराध तो माना गया मगर 30 सितंबर, 2020 को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत के सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। खास बात यह है कि जिस दिन लखनऊ की अदालत ने यह फैसला सुनाया था उसी दिन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद अदालत में उठा दिया गया। मगर अब ये फिरकापरस्त जमातें अपने लक्ष्य को इसलिए प्राप्त नहीं कर पातीं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के अपने ऐतिहासिक फैसले में संसद में पारित एक कानून का हवाला भी दिया है, जिसके अनुसार इस देश में 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्थिति में था वह उसी स्थिति में रहेगा। हालांकि इसमें अयोध्या विवाद को शामिल नहीं किया गया था। इस कानून के तहत किसी भी वर्तमान उपासना स्थल के विवाद को अदालत में नहीं उठाया जा सकता।

लेखक ने कहा है कि मथुरा की अदालत में कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में जो याचिकाएं दायर की गई थीं उसमें यह दावा किया गया था कि 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को ध्वस्त करके उस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि इस विवाद के बारे में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधक समिति के बीच 50 वर्ष पहले एक समझौता हो चुका है। मगर इसके बावजूद भाजपा के नेता इस विवाद को राजनीतिक कारणों से भड़काना चाहते हैं।

हज पर अनिश्चितता बरकरार

इंकलाब (11 जनवरी) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि हज यात्रा पर गत तीन वर्ष से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा भारतीय हज यात्रा करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इसके साथ ही केन्द्रीय हज कमेटी ने हज यात्रा करने के इच्छुक लोगों से आवेदन भी मांगे थे। मगर हाल ही में जिस तरह से कोरोना महामारी ने फिर से सिर उठाया है उसके कारण सऊदी सरकार को अपने देश में फिर प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। अभी तक सऊदी सरकार ने 2022 के हज के लिए कोई गाईडलाइन जारी नहीं किया है, जिसके कारण हाजी दुविधा में हैं। हालांकि हज कमेटियां हज की तैयारी करने में जुटी हुई हैं।

गौरतलब है कि कोरोना के कारण गत दो वर्षों से सऊदी सरकार ने विदेशियों के लिए हज करने या उमरा अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और हज यात्रा को सिर्फ सऊदी नागरिकों तक ही सीमित कर दिया था। इसी अनिश्चितता के कारण हज यात्री आवेदन देने में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाजियों का कोटा 30 हजार से भी अधिक है मगर अभी तक सिर्फ 4510 लोगों ने ही आवेदन दिए हैं।

समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि हज यात्रा दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। हज कमेटी के सूत्रों के अनुसार अगर इस वर्ष हाजी हज यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें 75 हजार रुपया अधिक अदा करना होगा। इसका कारण यह है कि वीजा फीस, हज कर, बीमा और आवास के खर्च में वृद्धि हुई है। इस वर्ष हज यात्रा पर साढ़े तीन से चार लाख रुपये खर्च आने की संभावना है। जबकि 2015 में हाजियों को पौने दो लाख रुपये ही खर्च करने पड थे।

सियासत (9 जनवरी) के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर से हज यात्रियों का आवेदन लेने का सिलसिला शुरू किया गया था। हालांकि अब तक इस सिलसिले में 53 हजार लोगों ने आवेदन दिए हैं। मगर अभी तक सऊदी सरकार ने हज से संबंधित किसी कार्यक्रम की घाषणा नहीं की है और न भारत के साथ उनका इस संबंध में कोई समझौता ही हुआ है। उन्होंने दावा किया कि गत सात वर्षों में भारत में हज यात्रा के प्रबंधों में बहुत सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा हज यात्री भारत से जाते हैं। इस समय भारत का कोटा दो लाख के लगभग है।

सालार (1 जनवरी) के अनुसार क्योंकि अभी तक सऊदी सरकार ने इस वर्ष की हज नीति की घोषणा नहीं की है इसलिए हज के लिए जाने वाले दुविधा में हैं। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसलिए संभवत: 20 या 25 हजार से अधिक हज यात्रियों

को हज करने का मौका मिल सकेगा। दूसरी ओर केन्द्रीय हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकसूद अहमद खान ने कहा है कि जो लोग हज यात्रा के लिए जाना चाहते हैं उन्हें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए।

रोजनामा सहारा (11 जनवरी) के अनुसार दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने कहा है कि हाजियों को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अभी तक दिल्ली स सिर्फ 825 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हज यात्रा के लिए रवानगी का स्थान 21 से घटाकर 10 कर दिया गया है।

इंकलाब (2 जनवरी) के अनुसार हज कानून 2002 में संशोधन किए जाने की संभावना है। इस बात की संभावना है कि अब हज के साथ-साथ उमरा का आयोजन करने की जिम्मेवारी भी केंद्रीय हज कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उसे इराक, ईरान, जॉर्डन और सीरिया में भी शियाओं के पवित्र स्थानों की यात्रा करने का प्रबंध करने की भी जिम्मेवारी सौंपी गई है। अभी तक इन यात्राओं का प्रबंध प्राइवेट ऑपरेटर करते थे।

कर्नाटक के महिला कॉलेज में हिजाब पर विवाद

इत्तेमाद (3 जनवरी) के अनुसार कर्नाटक में उडुपी के सरकारी महिला कॉलेज की छह छात्राओं ने यह आरोप लगाया है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें कक्षाओं में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें आपस में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में बातचीत करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। इन मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन भी किया है। इन छात्राआं ने आरोप लगाया कि इनके प्रिंसिपल रूद्र गौडा ने इस संदर्भ में उनके अभिभावकों से बातचीत करने से भी साफ इंकार कर दिया है। प्रिंसिपल के निर्देश पर कक्षाओं में उनकी हाजिरी भी नहीं लगाई जा रही है। दूसरी ओर प्रिंसिपल रूद्र गौडा का कहना है कि छात्राएं कॉलेज परिसर में तो हिजाब पहन सकती हैं परंतु कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती। इस विवाद में पॉपुलर फ्रंट के नेता भी कूद पड़े हैं। एसडीपीआई संगठन के उडुपी यूनिट के अध्यक्ष नजीर अहमद का कहना है कि अगर छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई तो वे इसका विरोध करेंगे।

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार यह विवाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से सुलझ गया है। हाल ही में कॉलेज के इन मुस्लिम छात्राओं के साथ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला के उपायुक्त कुर्मा राव से मुलाकात करके उनसे आग्रह किया था कि कॉलेज

के प्रिंसिपल ने जो प्रतिबंध लगाया है वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत दिए जा रहे अधिकारों का खुला उल्लंघन है। उपायुक्त के दबाव पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने की अनुमति दे दी। इससे पूर्व तीन कट्टर मुस्लिम संगठनों कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने यह धमकी दी थी कि अगर इन छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके खिलाफ मुस्लिम संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। मुस्लिम छात्राओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे कॉलेज छात्राओं के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म की बजाय उन्हें अलग यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत दी जाए जो कि काले रंग की कमीज, काला दुपट्टा और चूड़ीदार पाजामा हो। मगर प्रिंसिपल का आग्रह है कि कॉलेज की सभी छात्राओं को एक जैसा ही यूनिफॉर्म पहनना होगा। मुस्लिम छात्राओं के जवाब में हिंदू छात्रों ने भी यह घोषणा की है कि वे भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आएंगे और भगवे कपड़े पहनेंगे। अगर उन्हें इसकी अनुमति नहों दी गई तो वे कॉलेज के बाहर धरना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मुस्लिम तुष्टोकरण की नीति पर चल रहा है और यह देश के हित में नहीं है।

उत्तर प्रदेश का चुनाव ओवैसी के लिए चुनौती

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव तेलंगाना की राजनीतिक पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भारी चुनौती बन रहे हैं। मजलिस ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। इससे पूर्व ओवैसी बिहार विधान सभा के चुनाव में पांच सीटें प्राप्त करके प्रदेश के बाहर अपने पैर पसार चुके हैं। मगर उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। मगर उनके उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों समाजवादो पार्टी और कांग्रेस की ओर से इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और उन्हें

मुसलमानों के मतों को विभाजित करने के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। जबकि ओवैसी का दावा है कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंगमेकर के रूप मं उभरना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 40 चुनावो रैलियों को संबोधित किया है, जिनमें जनता ने भारी संख्या में भाग लिया है। कुशल वक्ता ओवैसी इन चुनावी रैलियों में भाजपा और समाजवादी पार्टी को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को अपना निशाना बनाया है। अमित शाह ने ओवैसी को निजामशाही के वारिस की संज्ञा दी थी और कहा था कि निजामशाही के खात्मे के बाद ओवैसी अब अपनी सल्तनत हैदराबाद से बाहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

राजनीतिक पयवेक्षकों का कहना है कि कुशल वक्ता और कानून के ज्ञाता ओवैसी अपने भाषणों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनका जोर इस बात पर होता है कि उत्तर प्रदेश के 19 प्रतिशत मुसलमान एकजुट हों ताकि सत्ता में उनकी भागीदारी हो सके और वे राज्य के हर क्षेत्र में उपेक्षा से बच सकें। यह पहला अवसर नहीं है जब मजलिस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कदम जमाने का प्रयास कर रही है। 2017 में मजलिस ने विधानसभा की 403 सीटों में से 38 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। मगर उन्हें एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी। 30 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

ओवैसी का दावा है कि गत पांच वर्षों में मजलिस उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है। प्रारंभ में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से राजनीतिक समझौता करने का प्रयास किया था मगर राजभर ने मजलिस का हाथ झटककर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। हालांकि पिछला वर्ष मजलिस के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मुंह की खानी पड़ी है। 2015 में मजलिस ने बिहार विधानसभा की छह सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पांच वर्ष के बाद मजलिस ने 2020 में बिहार विधानसभा की 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से उसे पांच पर विजय प्राप्त हुई। झारखंड में मजलिस ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए मगर वे किसी भी सीट पर जीत नहीं पाए। 2013 तक मजलिस हैदराबाद महानगर तक ही सीमित थी। हालांकि उसे महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुछ स्थानीय सीटों पर कामयाबी मिली थी। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 35 वर्षों से मजलिस काबिज है। मजलिस की स्थापना 1927 में आजाद निजाम शाही की स्थापना के लक्ष्य से की गई थी। उसके एक नेता कासिम रिजवी पर भारत की सेना का मुकाबला करने का भी आरोप है। इसलिए 1948 में हैदराबाद के विलय के बाद भारत सरकार ने इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर 1958 में ओवैसी के दादा मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसे नए रूप में पुनर्जीवित किया। मजलिस का दावा है कि वह तेलंगाना में एक दर्जन से अधिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और इंजोनियरिंग कॉलेज चला रही है।

विश्व

कजाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक

मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक हो रही है।

इंकलाब (8 जनवरी, 2022) के अनुसार कजाकिस्तान में पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन गंभीर रूप ले रहे हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव ने सेना को आदेश दिया है कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को तुरंत गोली से उड़ा दिया जाए। सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 48 तक पहुंच चुकी है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि विदेशी शक्तियां संविधान सम्मत सरकार का तख्ता पलटने के लिए लोगों को भड़का रही हैं। उनकी अपील पर रूस ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए वहां पर अपने सैनिक भेज दिए हैं।

गौरतलब है कि जन-प्रदर्शनों के बाद 2 जनवरी को कजाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट ताकायेव ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अल्माटी और मैंगिस्टाऊ में कर्फ्यू लगाने के बावजूद प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। मरने वालों में 28 नागरिक और 18 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जबकि गैरसरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 150-200 के बीच आंकी जा रही है। गृहमंत्रालय ने यह दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों के भेष में विदेशी एजेंट हैं जो पुलिस और सेना पर गोलियां चला रहे हैं। सेना और पुलिस की कार्रवाई से जो लोग मरे हैं वे कजाकिस्तान के नागरिक नहीं बल्कि विदेशी एजेंट हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पूरे विवाद की जड़ स्वयं राष्ट्रपति हैं मगर उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया है और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। यूरोपीय यूनियन ने धमकी दी है कि अगर रूस ने वहां सेना भेजी तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विदेशी मीडिया के अनुसार सैकड़ों लोग घायल हैं और 4000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दावा

किया है कि हालात नियंत्रण में हैं और विदेशी एजेंटों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इंकलाब (9 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री ने कजाकिस्तान में रूसी सैनिकों को भेजे जाने पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है और विश्व को शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। समाचारपत्र के अनुसार अब तक 2500 से अधिक रूसी सैनिक कजाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि कजाकिस्तान की सरकार स्थिति से स्वयं क्यों नहीं निपट रही है? अगर रूस एक बार उनके देश में प्रवेश कर गया तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। रूसी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे मदद मांगी थी। क्योंकि कजाकिस्तान के साथ रूस की संधि है इसलिए हमने वहां पर अपने सैनिक भेजे हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार कजाकिस्तान के पूर्व सुरक्षा अधिकारी करीम मासिमोव को देशद्रोह के आरोप में पकड़ा गया है। देश में होने वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया गया था।

रोजनामा सहारा (8 जनवरी) ने कजाकिस्तान की विस्फोटक स्थिति की विस्तृत पृष्ठभूमि प्रकाशित की है और कहा है कि वहां पर बिगड़ते हुए हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की अपील पर रूस ने वहां अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने सोवियत यूनियन के छह पुराने राज्यों के साथ हुई संधि के कारण यह फैसला किया है। जिन देशों के साथ रूस की संधि है उसमें बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मीनिया आदि शामिल हैं। इन देशों के साथ रूस की सामुहिक सुरक्षा संधि संगठन है जो कि सीएसटीओ कहलाती है।

समाचारपत्र के अनुसार रूस ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उच्च सैनिक अधिकारियों, गुप्तचरों और अर्द्धसैनिक बलों को भारी संख्या में वहां भेजा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि कजाकिस्तान में तानाशाही है और रूस इस तानाशाही को कायम रखना चाहता है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जिन देशों ने अपनी आजादी की घोषणा की थी उनमें कजाकिस्तान भी शामिल था। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करने के साथ-साथ पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है और यह आदेश जारी किया है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को सैनिक गोलियों से उड़ा दें।

गौरतलब है कि कजाकिस्तान ने 1991 में सोवियत रूस से अपना नाता तोड़ा था। कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव थे जिन्हें सत्ता से हटाकर वर्तमान राष्ट्रपति ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र में क्योंकि कड़ी सर्दी पड़ती है इसलिए पेट्रोल और एलपीजी के मूल्यों में अचानक की गई वृद्धि के खिलाफ लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। पिछले तीन वर्ष से वर्तमान राष्ट्रपति सत्तारूढ़ हैं। क्योंकि कजाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में इंटरनेट टेलीफोन और सूचना के अन्य सुविधाएं बंद कर दिए हैं इसलिए यह पता लगाना बहुत कठिन है कि वहां पर वास्तविक स्थिति क्या है। इस देश के सबसे बड़े नगर अल्माटी में प्रदर्शनकारियों ने अनेक सरकारी भवनों को फूंक डाला है और वहां के अधिकारी वहां से फरार होकर अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। विदेशी सूत्रों के अनुसार वहां पर वैसे ही हालात है जैसे कुछ महीने पूर्व काबुल में थे। पिछले दो महीने से वहां पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए राष्ट्रपति ने इस महीने के प्रारंभ में पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के

लिए सेना का इस्तेमाल किया। मगर जब प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाना शुरू कर दिया तो उन्हें रूस से सैनिक सहायता प्राप्त करनी पड़ी। समाचारपत्र ने दावा किया है कि वर्तमान राष्ट्रपति ने 2019 में उस समय के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव को देश से भागने पर मजबूर कर दिया था।

इत्तेमाद (7 जनवरी) के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने रूस को चेतावनी दी है कि वह कजाकिस्तान की सार्वभौमिकता का सम्मान करे और वहां पर अपने सैनिक न भेजे। यूरोपीय यूनियन ने सभी पक्षों से यह अनुरोध किया है कि वे सब्र से काम लें और विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करें। दूसरी ओर रूसी प्रवक्ता न यह घोषणा की है कि जब तक कजाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं होगी रूसो सेना वहां पर मौजूद रहेगी।

इत्तेमाद (8 जनवरी) ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि मध्य एशिया के आर्थिक रूप से सक्षम और पेट्रोल के भंडारों से माला-माल देश कजाकिस्तान को जर्बदस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान ने अरब शासकों की तरह फर्जी लोकतंत्र की आड़ में वर्षों तानाशाही चलाई और जनता के लिए कुछ नहीं किया। नूरसुल्तान सोवियत यूनियन के समय में कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता थ। 1991 में उन्होंने सोवियत यूनियन से अपनी आजादी की घोषणा कर दी और वे इस नए आजाद देश के राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद वे फर्जी चुनाव करवाकर सत्ता पर काबिज रहे। उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देन और अपने विरोधियों को ताकत से कुचलने का आरोप है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने देश भर में स्वयं को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाया था। पुरानी राजधानी अल्माटी में अनेक सरकारी भवन मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। राष्ट्रपति के महल में प्रदर्शनकारियों ने घुसने का प्रयास किया था जिस पर सेना ने काफी लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। इससे पूर्व इस देश में एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण था जिसे इस वर्ष के शुरू में ही हटा लिया गया। इससे पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। इसके बाद पधानमंत्री अस्कर मामिन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा।

कजाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक ने अपनी सभी शाखाएं बंद कर दी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश है। हालांकि इसकी जनसंख्या पौने दो करोड़ से भी कम है। इसके दस सूबे हैं। यह ऐसा देश है जिसके पास अपना समुद्र तट है। इस देश में 67 प्रतिशत कजाक हैं। जबकि 19 प्रतिशत रूसी हैं। कुछ उज्बेक और उइगर नस्ल के लोग भी हैं। कभी यह इस्लामिक देश उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा था। पहले विश्व युद्ध के बाद इस पर सोवियत रूस ने कब्जा कर लिया। इस देश की 72 प्रतिशत आबादी मुसलमान है। आठवीं शताब्दी में अरबों ने इस देश के लोगों को मुसलमान बनाया था। ईरान और अफगानिस्तान के साथ क्योंकि इस देश की सीमाएं मिलती हैं इसलिए हाल ही में इस देश में इस्लाम के समर्थकों ने जनता में अपने पैर पसारे हैं।

सियासत (10 जनवरी) ने इस इस्लामिक देश में बिगड़ते हुए हालात पर चिंता प्रकट की है और आरोप लगाया है कि तेल के भारी भंडारों के बावजूद इस देश की जनता गरीब है और उनके शासक मौज-मस्ती करते हैं। चीन के साथ इस देश के घनिष्ठ संबंध हैं। यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति ने भी यह दावा किया है कि इस देश की निर्वाचित सरकार का तख्ता पटलने का जो प्रयास हो रहा है उसके पीछे विदेशी हाथ है। इसलिए वहां के शासक अशांति को कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है।

आठ लाख अफगान शरणार्थी ईरान में

सियासत (8 जनवरी) के अनुसार ईरान सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि गत चार महीनों में आठ लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों ने ईरान में शरण ली ह। ईरानी सरकार का दावा है कि प्रत्येक दिन पांच से दस हजार अफगान ईरान में दाखिल हो रहे हैं। ईरान ने विश्व के देशों से अपील की है कि वे इन बेघर अफगान शरणार्थियों की सहायता करें। ईरान के विदेश मंत्री हसन अमीर-अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि नार्वे से उन्हें जो सहायता प्राप्त हुई थी वह हमने इन शरणार्थियों तक पहुंचा दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि वह मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध कराए। ईरान ने यह भी घोषणा की है कि यदि भारत अफगानिस्तान को कोई सहायता देना चाहता है तो ईरान उसे अफगानिस्तान तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा।

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार भारत ने अफगानिस्तान को भारी मात्रा में कोरोना वैक्सीन और गेहूं सप्लाई करने की जो घोषणा की है उसके बाद तालिबान ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में भारत द्वारा बंद किए गए दूतावास को दोबारा खोलने के पक्ष में हैं और वे इस दूतावास के कर्मचारियों को पूर्ण सूरक्षा प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने वहां पर अपना दूतावास बंद कर दिया था। भारत ने अपना बंद दूतावास अभी तक वहां नहीं खोला है। हालांकि वह मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की जनता को खाद्यान्न सप्लाई कर रहा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि भारत काबुल में अपना दूतावास पुनः खोल सकता है। भारत इस बात का इच्छुक है कि उसके द्वारा अफगानिस्तान को जो सहायता दी जा रही है वह आम जनता तक पहुंचे। क्योंकि इस बात की शिकायतें मिली हैं कि भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता के वितरण में भारी हेराफेरी हो रही है।

इंकलाब (10 जनवरी) के अनुसार सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीरुल्लाह मुत्तकी ने हाल ही में ईरान का दौरा किया है। तालिबानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि इस दौरे का उद्देश्य अफगानिस्तान और ईरान के बीच राजनीतिक, आर्थिक और शरणार्थियों की समस्याओं के बारे में बातचीत करना था। ईरान अफगानिस्तान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अभी तक ईरान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि इससे पूर्व भी जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में थे ता ईरान ने उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की थी।

मलेशिया से पाकिस्तानी घुसपैठियों की वापसी

रोजनामा सहारा (6 जनवरी) के अनुसार मलेशिया ने अपने देश में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का सुराग लगाने और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का अभियान तेज कर दिया है। गत वर्ष 8000 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया था। मलेशिया स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने वहां की सरकार से अनुरोध किया है कि मलेशिया में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों को वापस स्वदेश भेजने की एक नीति पिछले वर्ष अपनाई गई थी उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाए। इस नीति के अनुसार देश मं अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति अगर हवाई टिकट और कोरोना जांच प्रमाणपत्र के साथ हवाई अड्डे पर जाकर अपने देश में वापस लौटने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे मलेशिया सरकार वापसी का अनुमति प्रमाणपत्र दे देती है और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं को जाती है।

पाकिस्तानी दूतावास ने यह स्वीकार किया है कि अभी हजारों पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से मलेशिया में रह रहे हैं और वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए स्वदेश लौटना चाहते हैं। मगर इस छूट की अवधि 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए यह जरूरी है कि इस छूट में एक वर्ष की और वृद्धि की जाए। बताया जाता है कि इस समय 10 हजार के लगभग पाकिस्तानी मलेशिया में अवैध रूप से रह रहे हैं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। पाकिस्तान उच्चायोग ने मलेशिया में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों को यह सलाह दी है कि वे मलेशिया सरकार की इस नीति का लाभ उठाएं और वापस स्वदेश लौट जाएं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सरकार जेल में डाल देगी। मलेशिया के आव्रजन विभाग के अनुसार गत वर्ष एक लाख 92 हजार विदेशियों ने वहां के विदेश मंत्रालय मं अपने नाम दर्ज करवाए थे जा वहां अवैध रूप से रह रहे थे। सबसे बड़ी संख्या इंडोनेशिया के निवासियों की थी जिनकी संख्या 99 हजार थी। दूसरे स्थान पर बांग्लादेशी थे जिनकी संख्या 27 हजार थी। तीसरे स्थान पर भारतीय थे जिनकी संख्या 24 हजार थी। इनमें से अधिकांश वापस अपने-अपने देशों को लौट चुके हैं। मगर अभी काफी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए वहां रह रहे हैं जिन्हें मलेशिया सरकार वहां से निकालना चाहती है।

क्वेटा में धमाका

अवधनामा (31 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में जिन्ना रोड़ पर एक धमाका हुआ, जिसमें चार लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। कहा जाता है कि इस धमाके के पीछे उन तत्वों का हाथ है जो पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति पाना चाहते हैं और आजाद बलूचिस्तान राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। बलूचिस्तान सरकार के गृहमंत्रालय के

सलाहकार मीर जियाउल्लाह ने बताया कि यह

धमाका रिमोट कंट्रोल के द्वारा किया गया है और उसके पीछे पाकिस्तान के दुश्मनों का हाथ है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दुस बिजेंजो ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि यह आतंकवादियों की हरकत है जो विदेशियों के इशारे पर पाकिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने इन धमाकों में मारे गए मासूम नागरिकों की मौत पर खेद व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार इन विदेशी एजेंटों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री ने बलूचिस्तान के पुलिस महानिदेशक को यह आदेश दिया है कि धमाकों के आरोपियों का जल्द-से-जल्द पता लगाएं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि भोले-भाले नागरिकों को आतंकवादियों के रहमो-करम पर नहीं छोड़ा जा सकता।

पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय का मस्जिद गिराने का फैसला बदलने से इंकार

रोजनामा सहारा (6 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने कराची के एक पार्क में बनाई गई एक मस्जिद को गिराने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के लिए इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ से पाकिस्तान सरकार के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने आग्रह किया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 28 दिसंबर को कराची में तारिक रोड़ पर एक पार्क में बनाई गई मस्जिद को तोड़ने का जो आदेश दिया था उस पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि इस फैसले से देश में धार्मिक तनाव पैदा हो रहा है। एक न्यायाधीश काजी अमीन ने अटॉर्नी जनरल को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह पार्क बनते हुए हमने अपनी आंखों से देखा था। मगर इस पार्क पर जिस तरह से अवैध रूप से कब्जे किए

गए हैं उसे सहन करना मुश्किल है। अगर सिंध सरकार चाहे तो वह इस मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्लॉट अलॉट कर सकती है। मगर हम अपने फैसले को किसी कीमत पर बदल नहीं सकते। पार्क में बनाई गई इस अवैध मस्जिद को हर कीमत पर गिराया जाएगा चाहे उसके कुछ भी परिणाम हों।

मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने कहा कि अगर किसी दबाव के तहत अदालत अपना फैसला इसी तरह से बदलने लगे तो यह न्यायपालिका के लिए काला दिन होगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उन्हें यह मालूम है कि मस्जिद निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करने की जिम्मेवारी प्रांतीय सरकार की है। मगर अदालत के इस फैसले के कारण जनता में जो धार्मिक तनाव पैदा हो रहा है उसे देखते हुए यह जरूरी है कि शांति बनाए रखने के लिए अदालत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। न्यायाधीश ने कहा कि अवैध निर्माण को गिराने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाना इस्लामिक सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है।

पश्चिम एशिया

ईरान को अमेरिका की धमकी

इत्तेमाद (5 जनवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मांग की है कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान इसका बदला लेगा। हम किसी भी कीमत पर उन्हं क्षमा नहीं कर सकते। यह मुकदमा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चलाया जाना चाहिए। राष्टपति ने कहा कि अगर ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया तो मुसलमान अपने शहीद की मौत का बदला लेंगे। जनरल सुलेमानी की हत्या के लिए अमेरिकी विमान सेना ने जो हमला किया था वह पूरी ईरानी कौम पर हमला था। उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

गौरतलब है कि जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब के सैन्य गुप्तचर विभाग के कमांडर थे। उन्हें 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में बगदाद के समीप मारा गया था। जनरल सुलेमानी एक गुप्त मिशन पर इराक गए थे। ईरान ने इस बात की निंदा की है कि अंतरराष्ट्रीय अदालतां ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि गत सप्ताह उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी कि सुलेमानी की हत्या के खिलाफ जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। इससे पूर्व ईरान ने इंटरपोल से यह अनुरोध किया था कि वह ट्रम्प की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करे।

ईरान क न्याय विभाग के प्रमुख ने ईरानी टेलीविजन में भाषण देते हुए कहा कि जनरल सुलेमानी की हत्या के 127 आरोपियों की सूची संयुक्त राष्ट्र संघ को दी गई थी। इनमें 74 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। जनरल सुलेमानी की हत्या के कुछ दिनों बाद अमेरिका

ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बताया था कि अमेरिका ने यह कदम अपनी रक्षा के लिए उठाया है। तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने कहा था कि ट्रम्प को जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने का अधिकार था।

ईरान में जनरल सुलेमानी को राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है। जबकि अमेरिकी सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है। ईरान ने गत दिनों एक विशेष न्यायालय गठित किया है, जिसमें कहा गया है कि वह जनरल सुलेमानी की हत्या के सिलसिले में विदेशी ताकतों के खिलाफ अपनी शिकायत दज करवा सकता है। पूरे ईरान में जनरल सुलेमानी की हत्या की दूसरी बरसी पर शहीदी कार्यक्रमां का आयोजन किया गया। तेहरान में आयोजित एक कार्यक्रम में फिलिस्तीन, सीरिया, यमन आदि अनेक देशों के राजदूतों ने हिस्सा लिया। इराक में बगदाद के हवाई अड्डे पर भी एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें ईरान समर्थक गुटों ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 जनवरी) के अनुसार ईरान ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिकी फौजियों को जनरल सुलेमानी की हत्या की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। बरसी के मौके पर बगदादा के हवाई अड्डे को ईरान की मिलिशिया ने रॉकेटों से निशाना बनाया। इस हमले के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर राजधानी के चक्कर काटते रहे। अमेरिकी सूत्रों ने दावा किया है कि बगदाद हवाई अड्डे पर हमला करने वाले कुछ सशस्त्र ड्रोन मार गिराए गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी अड्डे पर ईरान की मिलिशिया ने हमला किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी सैनिक अड्डे के पास पांच मिसाइल दागे गए थे। मगर इससे कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

अवधनामा (4 जनवरी) के अनुसार ईरान, इराक एवं सीरिया में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और उनके सहायक जनरल अबु महदी एवं आठ अन्य उच्च ईरानी सैनिक अधिकारियों का यौमे शहादत मनाया गया। ईरानी सूत्रों ने दावा किया है कि ये ईरानी अधिकारी इराक सरकार के निमंत्रण पर बगदाद पहुंचे थे।

इत्तेमाद (11 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने किसी भी अमेरिकी को अपना निशाना बनाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि हम ईरान के किसी भी हमले को रोकने और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में ईरान ने किसी भी अमेरिकी नागरिक को अपना निशाना बनाया तो हम उसे नहीं बख्शेंगे।

ईरान द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने पर अमेरिका चिंतित

इत्तेमाद (1 जनवरी) के अनुसार ईरान ने इस वर्ष के प्रारंभ में एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यह उपग्रह 470 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में भेजा गया है। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य क्या है और इसका तकनीकी विवरण क्या है। ईरानी टेलीविजन ने इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का एक वीडियो प्रसारित करते हुए इसे ईरानी वैज्ञानिकों की सफलता बताया है। इस उपग्रह के अंतरिक्ष में भेजे जाने पर अमेरिका ने चिंता प्रकट की है और कहा है कि इसकी तकनीक से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की यह

हरकत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का खुला उल्लंघन है, जिसमें ईरान पर दबाव डाला गया था कि वह बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा।

इंकलाब (10 जनवरी) के अनुसार फ्रांस ने भी ईरान द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने की निंदा की है और उसे शांति के लिए खतरा बताया है। जर्मनी ने कहा है कि ईरान द्वारा उपग्रह भेजने से वियना में चल रही वार्ता में रूकावट आएगी और ईरान का यह कदम विश्व शांति के लिए खतरा ह। दूसरी ओर ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि विज्ञान, अंतरिक्ष एवं एयरोनॉटिक्स क्षेत्र में अनुसंधान को जारी रखना उसका अधिकार है और वह इसे भविष्य में भी जारी रखेगा। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके शत्रु इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं।

विद्रोहियों द्वारा 200 नागरिकों की हत्या

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के अनुसार नाइजीरिया के सैनिकों ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-शबाब के खिलाफ देशव्यापी जो अभियान शुरू किया है उसकी जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिलों पर सवार अल-शबाब के आतंकवादियों ने दस गांवों पर हमला करके कम-से-कम 200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। मीडिया समाचारों के अनुसार इससे पूर्व नाइजीरिया की फौज और वायुसेना ने वनों और उसके नजदीकी इलाकों में अल-शबाब के ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में कम-स-कम 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। नाइजीरिया के सरकारी टेलीविजन ने मारे जाने वाले लोगों को डाकुओं की संज्ञा दी है। इस हमले के बाद अल-शबाब से संबंधित 300 से ज्यादा आतंकवादियों ने दस गांव पर हमला कर दिया और इन गांवों को आग लगा दी। इससे पहले उन्होंने लूटपाट भी की। बाद में इन गांवों के सभी निवासियों को गोलियों से उड़ा दिया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या 200-300 के बीच बताई जाती है। जबकि सरकारी दावे के अनुसार मरने वालों की संख्या 58 है। गांव वालों ने यह भी दावा किया है कि काफी लोगों को अल-शबाब के आतंकवादी बंधक बनाकर ले गए हैं।

अरब शहजादी कैद से रिहा

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के सऊदी अरब के पूर्व शासक स्वर्गीय सऊद की बेटी शहजादी बस्मा बिंत सऊद को बीमारी के कारण जेल से रिहा कर दिया गया है। गत तीन वर्षों से बिना मुकदमा चलाए यह शहजादी जेल में बंद थी। उसे सऊदी अरब के वर्तमान शासक परिवार का विरोधी माना जाता है। वह काफी देर से सऊदी अरब में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का अभियान चला रही थी। इस पर उसे उसकी बेटी के साथ मार्च 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस शहजादी की उम्र 57 वर्ष है। जेल में वह बीमार हो गई थी। मगर उसने विरोधस्वरूप अपना इलाज कराने से इंकार कर दिया था, जिससे उसका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन बिगड़ता गया। विश्व महिला संगठन ने 2020 में सऊदी अरब के शासक और युवराज मोहम्मद बिन सलमान से अनुरोध किया था कि मानवीय आधार पर इस बीमार शहजादी को जेल से रिहा किया जाए। अरब महिलाओं के संगठन ने अपने ट्विट में घोषणा की है कि तीन वर्ष के बाद शहजादी और उसकी बेटी को रिहा किया गया है। इन दोनों को 2019 में उस समय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था जब वह अपना इलाज करवाने के लिए स्विटज़रलैंड जा रही थी।

सूडान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार सेना के साथ हुए समझौते के दो महीने के बाद ही सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने त्यागपत्र देने की घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि देश को तबाही से बचाने के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ने का फसला किया है। उन्होंने कहा कि कोई और सूडानी नागरिक अब इस जिम्मेवारी को संभाले। गौरतलब है कि गत दो महीने से सूडान में सेना के खिलाफ लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद कम-से-कम चार लोग मारे गए थे। उसके बाद सेना के आदेश पर देशभर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

गौरतलब है कि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को सेना ने 25 अक्टूबर को उनके पद से अपदस्थ कर दिया था और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद देशभर में सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल-बुरहान शासन का भार किसी सूडानी नागरिक को सौपें और देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाए। बाद में जनता के दबाव के कारण सेना ने अब्दुल्ला हमदोक को कैद से रिहा करने की घोषणा की थी। इस दौरान कम-से-कम 100 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए थे।

इत्तेमाद (1 जनवरी) के अनुसार देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर हमला किया और उसके जवाब में सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाइ। प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे देश में फैल गया है। सुरक्षाबलों ने सूडान के विभिन्न नगरों में स्थित मीडिया के कार्यालयों पर छापे मारे हैं और

मीडियाकर्मियों को भारी संख्या में हिरासत में ले लिया है। सूडानी डॉक्टरों की कमेटी ने सेना द्वारा मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 52 बताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव पर सेना को सत्ता पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला के हवाले करनी पड़ी थी। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि सेना उन्हें शासन चलाने नहीं द रही है। इसलिए देश को तबाही से बचाने के लिए वे अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं।

हमारा समाज (11 जनवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने सूडान में शांति स्थापना के लिए सेना और नागरिकों के बीच वार्तालाप शुरू करने का जो प्रस्ताव दिया था उसे नागरिकों के समूह ने ठुकरा दिया है और कहा है कि वे किसी ऐसी वार्ता में भाग नहीं लेंगे। नागरिकों के संगठन 'एफएफसी' ने कहा है कि सूडान के वर्तमान संकट का एक मात्र हल यह है कि सैनिक परिषद को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में निर्वाचित लोगों को सौंपा जाए।

दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, अल्बानिया और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की है ताकि सूडान के बिगड़ते हुए हालात पर विचार किया जा सके। सूडानी नागरिक सेना के खिलाफ चार महीने से आंदोलन चला रहे हैं। सूडान के सेनापति अल-बुरहान ने यह दावा किया है कि अक्टूबर में सेना ने सत्ता पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया था। उनका लक्ष्य सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से देश में चुनाव करवाना था। उनके इस दावे का पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला ने खंडन किया है और कहा है कि उनका यह दावा सरासर गलत है।

टिप्पणी : 1956 में सूडान को विदेशी गुलामी से मुक्ति मिली थी। मगर इसके साथ ही राजनीति में सेना का दखल बढ़ गया था। 1958 में सूडान के सेना प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम अब्बूद ने एक खूनी क्रांति के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मगर 1964 में जनाक्रोश के कारण सेना को सत्ता छोड़नी पड़ी। चुनाव के बाद जो नागरिक सरकार बनी वह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। पांच वर्ष बाद ही सेना ने सत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया। 1985 में सेना के एक अन्य गुट ने विद्रोह करके सत्ता पर काबिज पुराने सैनिक अधिकारियों को अपदस्थ करके स्वयं सत्ता को संभाल लिया। इसके बाद देश में चुनाव हुए और सादिक अल-महदी नामक प्रधानमंत्री की नागरिक सरकार बनी। मगर तीन वर्ष बाद 1989 में ब्रिगेडियर उमर अल-बशोर के नेतत्व में सेना ने पुनः सत्ता पर कब्जा कर लिया। तीस वर्ष तक उमर अल-बशोर सत्ता में रहे। मगर 2019 में जनाक्रोश के कारण उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद सेना और नागरिकों की एक संयुक्त कार्यकारी परिषद ने देश का शासन संभाला। मगर चार महीने बाद जनाक्रोश के कारण सत्ता फिर से सेना ने अपने हाथों में ले ली।

अन्य

बालों पर थूकने के आरोप में जावेद हबीब पर केस दर्ज

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब के खिलाफ एक महिला के बाल बनाते समय उनके सिर पर थूकने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर में एक वर्कशॉप के दौरान होने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है जिसमें जावेद हबीब को महिला के बालां पर थूकते हुए देखा जा सकता है और उन्हें यह कहते हुए देखा गया है कि जब पानी की कमी हो तो थूक का इस्तेमाल करें। इस पर वर्कशॉप में उपस्थित लोगों को हंसते हुए देखा गया है। बाद में जावेद हबीब ने अपने इस टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया और यह दावा किया कि यह हरकत उन्होंने लोगों को हंसाने के लिए की थी।

हिन्दू जागरण मंच ने जावेद हबीब का पुतला फूंककर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। वीडियो में नजर आने वाली महिला की पहचान पूजा गुप्ता के तौर पर की गई है और व एक ब्यूटी सैलून चलाती हैं। बड़ौत की रहने वाली पूजा गुप्ता की शिकायत पर मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है।

उच्च शिक्षा में 16 प्रतिशत मुसलमान

इत्तेमाद (10 जनवरी) के अनुसार मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोराट ने कहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 16 प्रतिशत है जो कि अल्पसंख्यकों में सबसे कम है। जैन इस मामले में सबसे आगे हैं। उनका अनुपात 72 प्रतिशत है। जबकि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व 27 प्रतिशत है। थोराट 'उच्च शिक्षा में मुसलमान कहां पीछे रह गए?' विषय पर भाषण दे

रहे थे। 2017-18 के राष्ट्रीय सेंपल सर्वे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक कठिनाईयों के कारण 70 प्रतिशत मुसलमान उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और वे उससे पूर्व ही पढ़ाई छाड़ देते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार होना चाहिए।

हजामों को दाढ़ी न मुंडने का निर्देश

रोजनामा सहारा (2 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें हजामों को यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी पुरुष की दाढ़ी को न काटें और न ही उन्हें साफ करें। आदश में कहा गया है कि दाढ़ी बढ़ना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है और इस्लाम के सभी पैगम्बरों ने इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमान दाढ़ी के बालों की सफाई न करवाएं। यह आदेश पश्तों भाषा में लिखा गया है और इसके समर्थन में कुरान व हदीस का संदर्भ भी दिया गया है। आदेश में सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी कर्मचारी को दाढ़ी की सफाई करने से रोकें। क्योंकि दाढ़ी रखना पैगम्बर-ए-इस्लाम की सुन्नत है और इसका सभी मुसलमानों को पालन करना चाहिए।

जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए कमेटी

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है जो मरम्मत के लिए न सिर्फ चंदा इक्ट्ठा करेगी बल्कि वह इस संदर्भ में विशेषज्ञों से संपर्क भी स्थापित करेगी। इस कमेटी में जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान, अधिवक्ता जमाल अख्तर, रजिया सुल्ताना और हाफिज महफूज मोहम्मद शामिल हैं। इस कमेटी ने जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए आगा खान फाउंडेशन सहित अन्य संगठनों से भी संपर्क करने का फैसला किया है ताकि मस्जिद की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू की जा सके। यह कमेटी वक्फ बोर्ड की निगरानी में और शाही इमाम के सलाह से कार्य करेगी। इसके लिए फंड इकट्ठा करने का भी फैसला किया गया है।

ऊंट मेले में महिलाओं की भागीदारी

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के सऊदी अरब में आयोजित किंग अब्दुल अजीज कैमेल फैस्टिवल में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया है। इस मेले में भाग लेने के लिए 38 महिलाओं ने अपने नाम दर्ज करवाए थे। बाद में दस महिलाओं ने अपने ऊंटों पर सवार होकर इस मेले में हिस्सा लिया और पांच महिलाओं ने प्रथम स्थान हासिल करके इनाम भी प्राप्त किया। इस मेले में पांच हजार से अधिक ऊंट भाग लेते हैं और उसे देखने के लिए एक लाख पर्यटक आते हैं। यह मेला 32 किलोमीटर क्षेत्र में लगाया जाता है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

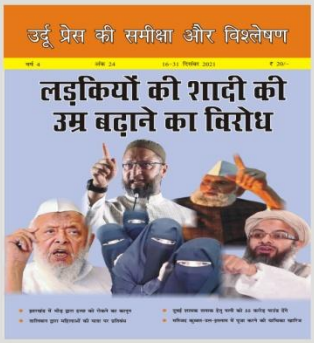

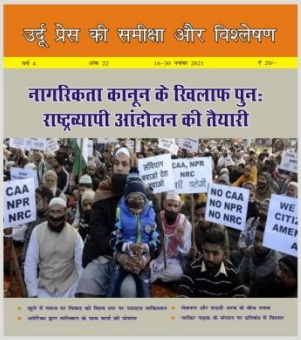

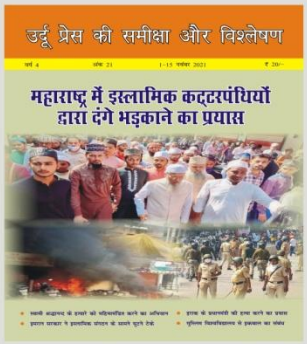

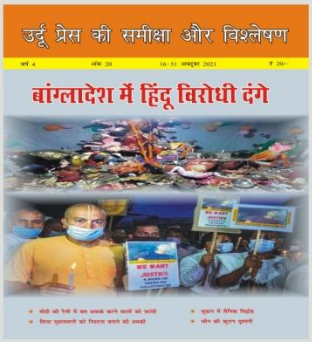

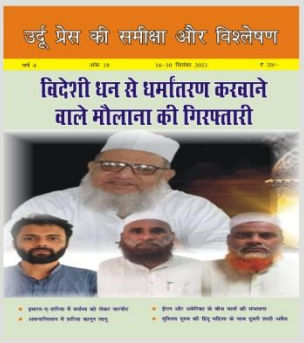

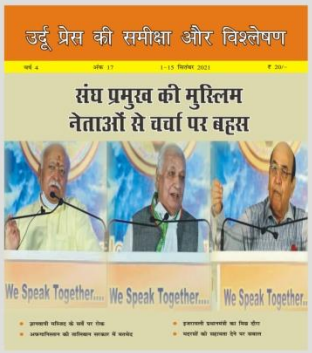

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रतीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in